UPJB120089422016

न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, हसनपुर, अमरोहा।

पीठासीन अधिकारी – रश्मि सिंह–II – (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

J.O. Code–UP4602

C.N.R. No- UPJB120089422016

परिवाद संख्या– 834/2015

धारा– 323,498–A भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट

थाना – हसनपुर, जिला – अमरोहा।

श्रीमती गुलशन पुत्री स्व० गफ्फार पत्नी शहीद

निवासी कनैटा रोड निकट मोती मस्जिद कस्बा व थाना हसनपुर, जिला जे०पी० नगर।

..... परिवादिनी

बनाम

1. **शहीद पुत्र हामिद**
2. **सलीम पुत्र हामिद**
3. **श्रीमती वहीदन पत्नी हामिद**
4. **अलीमउददीन पुत्र हामिद**
5. **हामिद पुत्र नामालूम**

निवासीगण मौ० मोती कालौनी सिकन्दर गेट ट्रान्सफार्मर वाली गली, थाना व तहसील हापुड़, जिला हापुड़।

..... अभियुक्तगण

प्रकरण से संबंधित विवरण संक्षेप में

वाद मेमो–

शिकायतकर्ता	श्रीमती गुलशन (परिवादिनी)
अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	श्री शीशपाल सिंह एडवोकेट
आरोप विरचित करने का दिनांक	30.04.2019
साक्ष्य अभिलेखन करने का दिनांक	29.06.2019
अंतिम तर्क सुनने एवं निर्णय घोषित करने के लिए प्रकरण आरक्षित करने का दिनांक	05.05.2026

निर्णय घोषित दिनांक	05.05.2026
दण्डादेश यदि कोई हो, पारित करने का दिनांक	05.05.2026– **शहीद, हामिद एवं बहीदन**– **दोषमुक्त** (अंतर्गत धारा– 323, 498–A भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट)
समयावधि	लगभग 11 वर्ष

अभियुक्तगण के संबंध में संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	**नाम अभियुक्तगण**	**व्यवसाय/पद**	**आरोपित अपराध**
1.	शहीद	मजदूरी	अंतर्गत धारा– 323, 498–A भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट
2.	हामिद	मजदूरी	अंतर्गत धारा– 323, 498–A भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट
3.	बहीदन	मजदूरी	अंतर्गत धारा– 323, 498–A भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट

अभियोजन/बचाव/न्यायालयीन साक्षीगण की सूची

साक्षी क्रमांक	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य दिनांक**	**साक्षी का प्रकार चक्षुदर्शी/अनुश्रुत/पीड़ित**	**प्रपत्र**	**प्रदर्श संख्या**
पी०डब्ल्यू०–1	श्रीमती गुलशन	14.07.2017	गवाह/ परिवादिनी	प्रार्थना पत्र प्रेषित पुलिस अधीक्षक	प्रदर्श क–1
				रजिस्ट्री रसीद	प्रदर्श क–2

बचाव पक्ष साक्ष्य

अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया

बयान अभियुक्तगण अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक	29.06.2019

निर्णय

1– उपरोक्त परिवाद में न्यायालय द्वारा अपने तलबी आदेश दिनांकित 07.08.2015 के

द्वारा **अभियुक्तगण शहीद, हामिद एवं बहीदन** को **धारा 323,498–A भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु तलब किया गया है।

2– प्रस्तुत मामलें का विचारण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थनी का विवाह लगभग 8 वर्ष पूर्व मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार शहीद पुत्र हामिद नि० हापुड़ से हुआ था। विदा होकर अपने पति के साथ उसके निवास स्थान पर रहकर हकूके जोजियत अदा करने लगी परन्तु प्रार्थनी के पति व उसके परिवारजन को प्रार्थन के माता–पिता व रिश्तेदारों द्वारा दिया गया उपहारस्वरूप दान पसन्द नहीं आया था तथा प्रार्थनी का पति व उसके ससुरालजन प्रार्थनी व उसके मायके वालों से एक लाख रुपये अतिरिक्त दहेज के रूप में मांग करने लगे जबकि प्रार्थनी के मायके वालों ने घर ग्रहस्ती का समस्त सामान दिया था। अपनी मांग को पूरा करने हेतु प्रार्थनी के पति व ससुरालजन ने नाने प्रकार से अवैध दबाब बनाकर प्रार्थनी के साथ मारपीट कर भरपेड़ खाना न देकर कम दहेज के ताने देकर शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया। इसी दौरान प्रार्थनी के दो लड़किया मुस्कान–6 व कु० सोनिया उत्पन्न हुई तथा इस समय भी गर्भवती है। तब भी प्रार्थनी के पति व ससुरालजन का व्यवहार प्रार्थनी के प्रति अत्यधिक क्रूर रहा। प्रार्थनी का पति प्रार्थनी को एक–एक माह के लिए छोड़कर चला जाता था, खर्चा नहीं देता था ना ही प्रार्थनी के ससुराल वाले प्रार्थनी के बच्चों का कोई खाना देते थे। प्रार्थनी को दिनांक 02.05.2015 को अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न करने पर उसके पति व ससुराल जन ने बच्चों सहित धक्के देकर पहने हुए कपड़ो में अपने घर से निकाल दिया। तथा धौंस दी की एक लाख रुपये लिये बिना यहां आयी तो जान से मार देंगे। तभी से प्रार्थनी अपनी माता के यहां रह रही है। दिनांक 28.05.2015 को समय लगभग 11:00 बजे दिन प्रार्थनी का पति शहीद व देवर सलीम, अलीमउददीन पुत्रगण हामिद व श्रीमती वहीदन पत्नी हामिद, व हामिद पुत्रगण नामालूम, निवासीगण मौ० मोती कालौनी सिकन्दर गेट ट्रान्सफार्मर वाली गली थाना तहसील हापुड़ जनपद हापुड़, प्रार्थनी के घर हसनपुर आ गये। प्रार्थनी ने सोचा आज मुझे यह लोग अपने साथ लेने आये हैं, श्रीमती वहीदन ने अन्य की मदद से कहा कि एक लाख रुपये का इन्तजाम हो गया मना करने पर गन्दी–गन्दी गालियां देने लगे। विरोध पर सभी लोगों ने प्रार्थनी के साथ लात–घूसों से मारपीट की तथा शहीद ने जोर जबरदस्ती प्रार्थनी का एक कौरे स्टाम्प पर अंगूठा लगाने का प्रयास किया। प्रार्थनी की माता श्रीमती मुन्नी के बचाने पर उनके साथ भी मारपीट की तथा बच्चों को खींचकर ले जाने लगे। अधिक शोर पर श्रीमती मकसूदन पत्नी सददीक व आस–पास के बहुत से लोग आ गये जिन्होंने वाका देखा व बीच–बचाव किया। जाते–जाते सभी लोग धमकी दे गये कि बिना एक लाख रुपये लिये हमारे घर आयी तो मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाकर जिन्दा जला देंगे।

3– परिवादिनी के परिवाद कथन, परिवादिनी के बयान धारा 200 दं०प्र०सं० में स्वयं को परीक्षित कराया एवं धारा 202 दं०प्र०सं० के अंतर्गत साक्षी **सी०डब्ल्यू०–1** के रूप में **मुन्नी** एवं **सी०डब्ल्यू०–2** के रूप में **मकसूदन** को परीक्षित कराया है। समस्त उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा **अभियुक्तगण शहीद, हामिद एवं बहीदन** को **धारा 323,498–A भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट** का बनते पाये जाने पर अभियुक्तगण को तलब किया गया।

4– अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये एवं उनके द्वारा अपनी–अपनी जमानत करायी गयी।

5– परिवादिनी की ओर से **धारा 244 दं०प्र०सं०** के अन्तर्गत **पी०डब्ल्यू०–1 के रूप** में स्वयं **श्रीमती गुलशन** को परीक्षित कराया गया है। परिवादिनी द्वारा अपना साक्ष्य अंतर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० अंकित कराया गया। तदोपरान्त परिवादिनी को अन्य साक्षी परीक्षित कराने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये परन्तु परिवादिनी द्वारा स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई भी साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया। परिवादिनी को पर्याप्त अन्तिम अवसर दिये जाने के बाद परिवादिनी का साक्ष्य अंतर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० का अवसर समाप्त हुआ। पत्रावली वास्ते आरोप हेतु नियत की गयी।

6– **दिनांक 30.04.2019** को **अभियुक्तगण शहीद, हामिद एवं बहीदन** के विरूद्ध **धारा 323,498–A भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट** के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

7– परिवादिनी की ओर से **धारा 246 दं०प्र०सं०** के अन्तर्गत स्वयं (**श्रीमती गुलशन**) का बयान अंकित कराया गया है तथा परिवादिनी ने स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी को अंतर्गत धारा 246 दं०प्र०सं० में अंकित नहीं कराया गया है तथा परिवादिनी द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 246 दं०प्र०सं० में यह कथन किया गया है कि मैं अन्य कोई गवाही अंकित नहीं करना चाहती हूँ। तदनुसार परिवादिनी का साक्ष्य अंतर्गत धारा 246 दं०प्र०सं० का अवसर समाप्त हुआ। पत्रावली वास्ते अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० हेतु नियत की गयी।

8– **अभियुक्तगण शहीद, हामिद एवं बहीदन** का बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० **धारा 323,498–A भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट** में **दिनांक 29.06.2019** को अंकित किया गया। जिसमें उन्होने पुनः घटना से इन्कार किया तथा अपने खिलाफ मुकदमा रंजिश के कारण चलना बताया। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गयी।

9– मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस विस्तार से सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र प्रपत्रों का विस्तार से परिशीलन किया।

10– अभियुक्तगण शहीद, हामिद एवं बहीदन पर धारा 323,498–A भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप है जिसे पूर्ण एवं संदेह से परे सिद्व करने का भार परिवादिनी पक्ष पर है।

11– परिवादिनी पक्ष द्वारा अपना केस साबित करने हेतु स्वयं **पी०डब्ल्यू०–1 श्रीमती गुलशन** को परीक्षित कराया गया है।

12– साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 श्रीमती गुलशन ने अपनी मुख्य परीक्षा अन्तर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० में सशपथ कथन किया है कि मेरी शादी शहीद से हुई थी। मेरी शादी के दस वर्ष हो चुके हैं। शादी में मेरे मां–बाप द्वारा दिया गया दान–दहेज शहीद के घरवाले इस दहेज से खुश नहीं थे और एक लाख रुपया अतिरिक्त दहेज के रूप में मांग करने लगे। शहीद के साथ रहते हुए मेरे दो बच्चे मेरे पास हैं। अपनी मांग को पूरा कराने के लिए मेरे साथ मारपीट करते तथा बुरा व्यवहार करते थे। मुझे अपनी अतिरिक्त दहेज की मांग करने के लिए 02.05.2015 को घर से मैं बच्चों के घर से निकाल दिया। मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। जब से मुझे ससुराल वालों ने घर से निकालने के बाद मायके में अपनी मां के साथ रह रही हूँ। मेरी माँ के यहां मेरे रहते मेरी सास वहीदन, ससुर हामिद, देवर सलीम, देवर अलाउददीन आये। इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मारपीट की दिन के ग्यारह बजे आये। आते ही दहेज की मांग दोहराया। मना करने पर मेरे साथ लात–घूसों से मारपीट की। बच्चों के छीनकर ले जाने लगे। स्टाम्प पर मेरा अंगूठा लगवाने का प्रयास किया। मुझे झगड़े के समय मुन्नी व मकसूदन आदि मौहल्ले के लोगों ने बचाया। जाते–जाते धमकी दी यदि कोई कार्यवाही की तो जान से मार देंगे। घटना की रिपोर्ट लिखाने मैं थाने गयी। थाने वालों ने रिपोर्ट नहीं लिखी। एक प्रार्थना पत्र एस.पी. महोदय को भेजा। कोई सुनवाई नहीं हुई। पत्रावली में प्रार्थना पत्र की प्रति 7 ख है। जिस पर मेरे अंगूठा निशानी है। जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। रजिस्ट्री की रसीद पर **प्रदर्श क–2** डाला गया।

13– बचाव पक्ष द्वारा जिरह किये जाने पर साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 श्रीमती गुलशन ने अपने बयान में कथन किया कि मुल्जिमान मेरे घर 11 तारीख को आये। महीना मुझे याद नहीं है। सब मुल्जिमान एक साथ आये थे। घटना की रिपोर्ट लिखाने 28 मई 2016 बाद में कहा 2015 में आये थे। जो प्रार्थना पत्र एस.पी. महोदय को भेजा था वह मैंने तहसील हसनपुर में टाईपिस्ट से टाईप कराया था। ये प्रार्थना पत्र मैंने एस.पी. महोदय को स्वयं दिया था।

14– साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 श्रीमती गुलशन ने अपनी प्रतिपरीक्षा अन्तर्गत धारा 246 दं०प्र०सं० में सशपथ कथन किया है कि मेरी शादी शहीद से सन 2004 में हुई थी। शादी के बाद शहीद के साथ उसके घर पर रहकर हकूके जोजियत अदा किया तथा शहीद से दो लड़कियां मुस्कान और सोनिया पैदा हुई। दिनांक 28.05.2015 को समय लगभग 11 बजे मेरा पति शहीद, सलीम, अलीमउददीन, श्रीमती वहीदन, हामिद हमारे घर आये थे। मैंने सोचा ये लोग मुझे आज लेने आये हैं। आपस में कुछ कहासुनी हुई थी। मेरे साथ किसी ने गाली–गलौंच नहीं की और न किसी ने मेरा साथ लात–घूसों से मारपीट की थी। और न ही मुझसे आतिरिक्त दहेज की मांग की थी। न ही मेरे से किसी स्टाम्प पर अंगूठे लगाने की कोशिश की थी। मौके पर शोर पर मेरी मां व आसपास के लोग व श्रीमती मकसूदन आ गये थे। किसी ने मुझे जान से मारने की धमकी नहीं दी थी।

15– बचाव पक्ष द्वारा जिरह किये जाने पर साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 श्रीमती गुलशन ने अपने बयान में कथन किया कि यह कहना सही है कि मेरा मुल्जिमान से समझौता हो गया है। यह कहना गलत है कि मैं समझौते के कारण न्यायालय में गलत ब्यान दे रही हूँ। मैं मुल्जिमान के खिलाफ आगे कोई कार्यवाही करना नहीं चाहती। मैं अन्य कोई गवाही भी देना नहीं चाहती।

<u>निष्कर्ष</u>

16– इस प्रकार साक्षी **पी०डब्ल्यू०–1 परिवादिनी श्रीमती गुलशन** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा अन्तर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० में परिवाद कथानक का समर्थन किया गया है। तत्पश्चात पी०डब्ल्यू०–1 श्रीमती गुलशन जो कि परिवादिनी है के द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा अंतर्गत धारा 246 दं०प्र०सं० में परिवाद कथानक का समर्थन नहीं किया बल्कि खण्डन करते हुये यह कहा है कि ***" मेरे साथ किसी ने गाली–गलौंच नहीं की और न किसी ने मेरा साथ लात–घूसों से मारपीट की थी। और न ही मुझसे आतिरिक्त दहेज की मांग की थी। न ही मेरे से किसी स्टाम्प पर अंगूठे लगाने की कोशिश की थी। मौके पर शोर पर मेरी मां व आसपास के लोग व श्रीमती मकसूदन आ गये थे। किसी ने मुझे जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। "*** इसके अतिरिक्त पत्रावली पर परिवादिनी द्वारा अन्य किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवादिनी द्वारा परीक्षित साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 यानि की स्वयं परिवादिनी श्रीमती गुलशन के साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास होने के कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया आरोप साबित नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त परिवादिनी द्वारा कोई भी ऐसा साक्षी/साक्ष्य पत्रावली पर परीक्षित नहीं कराया गया है जिससे परिवाद कथानक को बल मिल सके।

17– अतः उपरोक्त विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इस न्यायालय

का निष्कर्ष है कि परिवादिनी पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध को युक्ति युक्त सन्देह से परे सिद्व करने में असफल रहा है। निष्कर्षतया **अभियुक्तगण शहीद, हामिद एवं बहीदन** लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

18– अभियुक्तगण **शहीद, हामिद एवं बहीदन** को **धारा 323,498–A भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट** में **परिवाद संख्या 834/2015** के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के आरोपों से **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में दाखिल जमानतनामें एवं बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनानों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णय के खिलाफ अपील किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। अभियुक्तगण द्वारा धारा **437–A दं०प्र०सं० का अनुपालन** किया जा चुका है।

पत्रावली आवश्यक कार्यवाही पश्चात नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक– 05.05.2026

(रश्मि सिंह–II)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, हसनपुर,
अमरोहा।
जे.ओ. कोड– यू.पी.4602

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर उद्वघोषित किया गया।

दिनांक– 05.05.2026

(रश्मि सिंह–II)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, हसनपुर,
अमरोहा।
जे.ओ. कोड– यू.पी.4602